3/9/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने दिनांक 2.3.2021 को न्यायालय को अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र प्रकरण में उपस्थिति देने के बाद पक्षकारान द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया इसलिए पैरवी नहीं करना चाहते है। इसपर विपक्षीगण को न्यायालय [illegible] द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.12.27 16:21:56 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	बार-बार आवाजें लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं आए न ही इनकी ओर से किसी ने उपस्थिति दी अत: इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। पत्रावली में एक पक्षीय बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित हक हिस्से अनुसार जब तक विभाजन से खाता अलग नहीं हो जाता तब तक के लिए मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस पर वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया बहस में दोहराये गये तथ्यों का, राजस्व रेकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित खाता सं. 323 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई दखल पैदा नहीं करें। आवागमन हेतु रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करे। वादग्रस्त आराजी का कोई भू भाग हस्तान्तरण नहीं करें मौके की स्थिति में राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.12.27 16:21:56 IST
Reason: SelfAttested